



-:प्रेस नोट:-



बकेवर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 416/2021 धारा 363/376D/506/120B IPC व 3/ 4 पोस्को एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा का महिला सम्बन्धी अपराधो पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए अन्दर 24 घण्टे मे नामित अभियुक्त गण की गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी भरथना महोदय के कुशल नेतृत्व मे जनपद इटावा मे महिला सम्बन्धी अपराधो की रोकथाम एव प्रभावी कार्यवाही एवं अपराधियो पर अंकुश लगाते हुए दिनांक 07.09.2021 को थाना बकेवर जनपद इटावा पर पंजीकृत मु0अ0स0 416/2021 धारा 363/376D/506/120B IPC व 3/ 4 पोस्को एक्टके नामित अभियुक्त गण की प्रभारी निरीक्षक बकेवर के निर्देशन मे टीम गठित कर अन्दर 24 घण्टे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना बकेवर पुलिस द्वारा उक्त घटना मे नामित अभियुक्त गण की अन्दर 24 घण्टे मे गिरफ्तारी से जनता मे व महिलाओ मे सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रभावी संदेश गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण

1. अरूण कुमार तिवारी पुत्र ज्ञान प्रकाश तिवारी उर्फ छोटे लला निवासी मुडैना कला थाना बकेवर जिला इटावा
2. रवि प्रकाश दुबे उर्फ सोनू दुबे पुत्र स्व0 ओमप्रकाश दुबे निवासी नसीरपुर बोझा थाना बकेवर जनपद इटावा
3. पुनीत कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी नसीरपुर बोझा थाना बकेवर इटावा

गिरफ्तार करने वाला पुलिस बल

- 1-प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह
- 2-व0उ0नि0 मौ0 कामिल
- 3-उ0नि0 नितिन कुमार
- 4-का0 08 सत्यप्रकाश
- 5-का0 711 अंकित चौधरी

(राजेश कुमार सिंह)

प्रभारी निरीक्षक

थाना बकेवर जनपद- इटावा